

एक नजर में

युवती को फोन लगाने से नाराज युवक ने अस्पताल कर्मी को मारा चाकू

खरगोन, निप्र । शहर के डीआरपी लाइन के सामने मंगलवार सुबह उस वक्त गहमागहमी का माहौल हो गया, जब कुछ युवक आपस में झगड़ने लगे। गाली-गलौच, मारपीट के बाद नौबत चाकूबाजी तक पहुंच गई। यह विवाद एक निजी अस्पताल में कार्यरत युवती को अस्पताल के ही युवक द्वारा फोन लगाने को लेकर हुए विवाद के चलते हुए। युवती के दोस्त ने फोन लगाने से नाराज होकर अस्पताल कर्मी से विवाद के बाद चाकू से वार कर दिया, जिससे निजी अस्पताल कर्मचारी को गम्भीर चोट आई है। घायल को आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर जैतापुर थाने से पहुंची पुलिस ने घायल से पूछताछ कर जांच शुरू की है। जैतापुर थाने से मिली जानकारी अनुसार नरेंद्र सोलंकी निजी अस्पताल में काम करता है। नरेंद्र ने रिपोर्ट लिखाई है कि उसने कुछ दिन पहले अस्पताल में कार्यरत युवती फोन लगाया था। [फोन युवती के दोस्त ने अटैट किया और फोन लगाने की बात पर नाराज होकर विवाद करने लगा। पिछले चार दिनों से इनके बीच मोबाइल पर कहासूनी हो रही थी। मंगलवार को युवती के दोस्त ने नरेंद्र को डीआरपी लाईन के सामने बुलाया। यहां कहासूनी के बाद युवती के दोस्त धिक्की उर्फ गब्बर ने नरेंद्र पर सब्जी काटने वाले चाकू से वार कर दिया। इस मामले में नरेंद्र को हल्की चोट आई है। पुलिस ने नरेंद्र की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।

जनगणना कार्य में अनुभाग कसरावद को संभाग और जिले में प्रथम स्थान



कसरावद, निप्र । जनगणना 2027 के प्रथम चरण अंतर्गत मकान सूचीकरण कार्य में उत्कृष्ट दर्शन करते हुए कसरावद अनुभाग ने संभाग एवं जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक मिशाल कायम की है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित 30 दिवस की समय-सीमा के विरुद्ध अनुभाग कसरावद के प्रणालक एवं पर्यवेक्षक दल ने यह कार्य मात्र 10 दिवस में पूर्ण कर उल्लेखनीय सफलता अर्जित की। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के उपलक्ष्य में श्री गजानन रिसोर्ट में समस्त प्रणालक, पर्यवेक्षक एवं फील्ड ट्रेनर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सभी का स्वागत पुष्पवर्षा एवं ढोल-ताशों के साथ किया गया। कार्यक्रम में जनगणना अधिकारी कसरावद सत्येंद्र बेरवा, जनगणना चार्ज अधिकारी श्री मुकेश मचार, नगर परिषद जनगणना चार्ज अधिकारी श्री कमलेश गोले तथा अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी श्री नरेंद्र मुद्गल द्वारा सभी प्रणालक, पर्यवेक्षक एवं फील्ड ट्रेनर्स को पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर फील्ड स्तर पर किए गए कार्यों के अनुभव साझा किए गए। अनुभाग जनगणना अधिकारी द्वारा सभी प्रणालक एवं पर्यवेक्षकों से अपील की गई कि फरवरी 2027 में होने वाले द्वितीय चरण—जनसंख्या गणना—को भी पूर्ण निष्ठा एवं समयबद्धता के साथ संपन्न कर कसरावद अनुभाग को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान दिलाने के लिए संकल्पबद्ध रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रणालक, पर्यवेक्षक, फील्ड ट्रेनर्स एवं स्टफ के लिए स्वरुचि भोज की व्यवस्था की गई। सभी ने सफलता की खुशी मनाई तथा सेल्फी पॉइंट पर स्मरणीय पलों को कैमरे में कैद किया। समारोह में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कसरावद श्रीमती रीना किराड़, विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री बी.एस. निगवाल, विकासखंड सत समन्वयक श्री राजाराम कंदोड़, सीडीपीओ श्रीमती उमा नरवरिया, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री नरेंद्र सिंह सहित जनगणना प्रभारी श्री विजय कुमार वर्मा, श्री हमीद खान, श्री आरिफ खान, लोकेश मुकाटी आदि गणमान्यजन उपस्थित रहे।

‘न्याय सारथी’ वाहन का किया पूजन



मंडलेश्वर, निप्र । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का न्याय सारथी वाहन अब मोबाइल एडवोकेटिंग का कार्य करेगा। नए बोलरो वाहन में मोबाइल लीगल एड वितरित रहेगा जो गांव गांव जाकर आम जन की कानूनी समस्याओं को हल करेगा। इस नए वाहन न्याय सारथी का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में विधि विधान से पूजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अखिलेश जोशी कुटुंब न्यायाध्यक्ष के प्रधान न्यायाधीश श्री केज सिंह माहेश्वरी की गरिमाभ्य उपस्थित में सचिव एवं वरिष्ठ खंड न्यायाधीश सुश्री प्रीति जैन द्वारा नए वाहन ‘न्याय सारथी’ का पूजन किया। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह, रवि झारोला, राजकुमार चौहान, दीपक चौधरी, न्यायाधीश मोहित बड़के, न्यायाधीश प्रीति बाला मुनिष्ठा प्रशिक्षु न्यायाधीश मुस्कान मंजूरी जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई,डिप्टी चीफ क्लर्क शर्मा पी एल वी दुर्गाेश राजदीप, अमय सिंह पटेल,इंदिरा वर्मा, नेहा बाथवे, अमित पणार,रवि तटवारे कुंदन मंडनई सहित न्यायिक कर्मचारी उपस्थित रहे।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आम जन को कानूनी सहायता और कानूनी सलाह देने के साथ साथ केन्द्र और राज्य सरकार की कल्याण कारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए नगर परिषद कार्यालय, जनपद कार्यालय, शासकीय महाविद्यालय, कलेक्टर कार्यालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के फ्रंट आफिस में लीगल एड वितरितक संवालिंत किए जा रहे जहाँ पैरालीगल वॉलेंटियर तैनात किए गए हैं जो आम जन को कानूनी सहायता और सलाह दे रहे हैं।अब न्याय सारथी वाहन के माध्यम से भी गांव तक लोगों को घर बैठे कानूनी सहायता उपलब्ध होगी।

खरगोन में नि:शुल्क एटी रेबीज वैक्सीनेशन कैंप, 80 फीसदी डॉस का टीकाकरण पूरा

खरगोन, निप्र । मदर्स डे के अवसर पर शहर में मातृत्व का अनूठा उदाहरण देखने को मिला। 10 मई को ‘कर्तव्य जीव आश्रय’ संस्था द्वारा बेजुबान बच्चों यानी स्ट्रीट डॉस के लिए नि:शुल्क हेल्थ चेकअप एवं एटी रेबीज वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। संस्था की संचिता रघुवंशी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव करना है। रेबीज इंसानों और जानवरों दोनों के लिए बेहद खतरनाक है। समय पर वैक्सीनेशन से ही इस बीमारी को रोका जा सकता है। ‘कर्तव्य जीव आश्रय’ द्वारा अब तक शहर के लगभग 80% स्ट्रीट डॉस का एटी रेबीज वैक्सीनेशन किया जा चुका है। संस्था ने बताया कि बाकी क्षेत्रों में भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि खरगोन को रेबीज मुक्त बनाया जा सके। इस सफल अभियान को सचिता रघुवंशी, डॉ. निखिल चौहान, कुणाल पटेल, दिपाशु निवेदी, सलाउद्दीन सैयद, गौतम यादव, रितु डांडीर, रोशनी एवं अन्य सदस्यों के अथक प्रयासों से पूरा किया गया। सभी सदस्यों ने घर-घर जाकर बेजुबानों को वैक्सीन लगाई और उनका हेल्थ चेकअप किया। शहरवासियों ने संस्था के इस नैक कार्य को सराहना की है। लोगों का कहना है कि मदर्स डे पर बेजुबानों की मां बनकर संस्था ने समाज के सामने सेवा की मिशाल पेश की है।

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर कलेक्टर सख्त

विशेष अभियान के तहत शहर सहित जिलेभर में औचक निरीक्षण

नवभारत न्यूज़
खरगोन, निप्र। कलेक्टर भय्या मित्तल के निर्देशानुसार खरगोन शहर एवं जिले के विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अलग-अलग खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर मसालों के नमूने संग्रहित किए गए, ताकि आम नागरिकों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।
इन प्रतिष्ठानों से लिए गए नमूने:- खरगोन शहर के जवाहर मार्ग स्थित निर्मल किराना से हल्दी पावडर के



03 नमूने तथा जय जमूना ट्रेडर्स से हल्दी पावडर का 01 नमूना लिया गया। कसरावद क्षेत्र में वी. सुपर मार्ट से हल्दी पावडर के 02 नमूने,

संजय किराना से हल्दी पावडर का 01 नमूना, नोबल किराना से मसालों के 02 नमूने तथा नजमी किराना से 01 मिच पावडर एवं 01



मसाले का नमूना संग्रहित किया गया। इसी प्रकार महेश्वर में महाजन ट्रेडर्स से हल्दी पावडर का 01 नमूना, बड़वाह में अन्नपूर्णा

मसाला से 01 हल्दी पावडर तथा दीपक किराना स्टोर्स से 01 हल्दी पावडर का नमूना लिया गया।
जांच के बाद होगी वैधानिक

तकनीकी प्रश्नोत्तरी में विद्यार्थियों ने तार्किक क्षमता का दिया परिचय



खरगोन, निप्र। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर शासकीय पीजी कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक व्याख्यान तथा तकनीकी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान, नवाचार एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता विकसित करना तथा उन्हें तकनीकी प्रगति से जोड़ना था। इस अवसर पर विद्यार्थियों को देश एवं विश्व में हो रहे वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास एवं भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान तथा उभरती तकनीकों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ सहभागिता की। प्रश्नोत्तरी के योगदान तथा उभरती तकनीकों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ सहभागिता की। प्रश्नोत्तरी के योगदान तथा उभरती तकनीकों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ सहभागिता की। प्रश्नोत्तरी के योगदान तथा उभरती तकनीकों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।

से संबंधित प्रश्न पूछे गए। विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा, तार्किक क्षमता एवं सामान्य ज्ञान का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। महाविद्यालय की आईक्यूएसी समन्वयक एवं वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. वंदना बर्वे ने कहा कि वर्तमान समय तकनीक एवं नवाचार का युग है। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के साथ-साथ उन्हें नई तकनीकों के प्रति जागरूक बनाते हैं। विशेषज्ञ वक्ता के रूप में डॉ. दिनेश चौधरी ने विद्यार्थियों को नवाचार एवं आधुनिक तकनीकों के विविध आयामों से अवगत कराया। विशेषज्ञ गोविंद यादव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग में नैतिकता, सतर्कता एवं जिम्मेदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। आयोजन टीम में डॉ. दिनेश चौधरी, अमिका बिरले एवं संतोष कुमार राठौड़ का विशेष सहयोग रहा।

बार काउंसिल चुनाव में अभिभाषकों ने दिखाया उत्साह

खरगोन, निप्र। मध्यप्रदेश स्टेट बार काउंसिल के चुनाव का असर जिला मुख्यालय पर भी देखने को मिला। काउंसिल चुनाव में शहर बार एसोसिएशन के अभिभाषकों ने भी बतौर सदस्य मतदान किया, जिसके लिए न्यायालय परिसर में बूथ बनाया गया था। निष्पक्ष चुनाव और मतदान के लिए चतुर्थी अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश नाथ को निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है।

चुनाव के परिणामों से तय होगा कि अगले कार्यकाल के लिए प्रदेश के अधिवक्ताओं का नेतृत्व कौन करेगा। खरगोन न्यायालय परिसर में सुबह 10 से शाम पांच बजे तक मतदान प्रक्रिया में 281 अभिभाषकों ने मतदान किया। अभिभाषक संघ अध्यक्ष पवन बिल्लोरे ने बताया यह चुनाव संगठन के रूप में महत्वपूर्ण है। यह अभिभाषकों का सबसे बड़ा संगठन है। इसी संगठन से प्रदेश में अभिभाषकों के हितों, अधिकारों की आवाज उठाई जाती है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर पिछले दो माह से प्रत्याशी लगातार प्रदेश भर के अभिषाकों के संपर्क में थे। इस निर्वाचन प्रक्रिया में 25 सदस्यों का



चयन किया जाना है, जिनमें 18 पुरुष और 7 महिला सदस्य शामिल होंगे। कुल 122 प्रत्याशी मैदान में हैं, जो कि 23 सदस्यों का चयन करेंगे। वहीं दो महिला सदस्यों को मनोनीत किया जाना है। चुनाव को लेकर शहर के अभिभाषकों में उत्साह है। शहर अभिभाषक संघ के 387 अभिभाषकों को मतदान की पात्रता थी। हर मतदाता को 23 वोट करना थे। ब्रैलेट पेपर में प्रत्याशी का सीरियल नंबर दर्ज था, जिसके आगे नंबर पर सहमति जताकर अपना वोट डाला गया। हाईकोर्ट चुनाव में पहली बार महिला

आरक्षण भी दिया गया, इसके तहत 7 महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। परिणाम घोषणा के लिए 16 जून निर्धारित की गई है। अभिभाषक संघ सचिव रविंद्र यादव और उपाध्यक्ष युवराज गुजराथी ने बताया निर्वाचन प्रक्रिया न्यायाधीश नाथ के नेतृत्व में कराई गई, इसमें मतदान सहित मतदाताओं की पहचान प्रक्रिया न्यायालीयन कर्मचारियों ने ही संपन्न कराई। मतदान के दौरान न्यायालय परिसर में व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पुलिस के साथ ही स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती भी की गई थी।

एक नजर में

कलेक्टर की अध्यक्षता में समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक

किसानों की सुविधा और गेहूं खरीदी व्यवस्था पर विशेष जोर

नवभारत न्यूज़
खरगोन, निप्र। कलेक्टर भय्या मित्तल की अध्यक्षता में समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागृह में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के लॉबि प्रकरणों, जनहित योजनाओं एवं प्रशासनिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में गेहूं उपार्जन केंद्र बढ़ूद में किसानों को लंबी कतारों को देखते हुए वहां पीने के पानी एवं छाया की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी को दिए गए। साथ ही उपार्जन केंद्रों की सत मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए गए।

डीएम नान को गेहूं उपार्जन परिवहन को सुचारु रखने के लिए बड़वाह, सनावद एवं बागोद में दो-दो अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत अमृत सरोवर, फॉर्म पोंड एवं वाटरशेड से संबंधित कार्यों की रिपेयरिंग एवं मेंटेनेंस माह के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति लाने के लिए सभी तहसीलदारों को सक्रिय रूप से कार्य करने के निर्देश दिए गए। बैठक में ई-विकास उर्वरक वितरण के दौरान किसानों को आ रही समस्याओं के समाधान के लिए कृषि विभाग को प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं सीएम हेल्पलाइन एवं जन आकांक्षा पोर्टल अंतर्गत समय-सीमा में

लॉबि पत्रों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त न्यायालयीन प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं समय पर जवाब प्रस्तुत करने के लिए संबंधित अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए, ताकि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे और आमजन को समय पर राहत मिल सके। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौड़, जिला पंचायत सीईओ श्री मिलिंद कुमार नागदेवे, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती आकांक्षा अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर श्री अनिल जैन, श्री प्रताप कुमार आगस्त्या, सभी एसडीएम सहित जिला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े रहे।



जिला जेल का निरीक्षण और विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन



खरगोन, निप्र । तृतीय जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति खरगोन राजकुमार यादव और गिरीश कुमार शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन व कमलेश वरवर्निया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरगोन द्वारा जिला जेल खरगोन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बंदियों के रहने की स्थिति, खाने व पीने के पानी एवं मिडिकल सुविधाओं की गुणवत्ता का निरीक्षण किया गया।

बंदियों से उनकी समस्याओं को जानकर उचित परामर्श दिया गया। साथ ही विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान माननीय महोदय द्वारा बंदियों को लीगल एड डिफेंस काउंसेल योजना, नि:शुल्क विधिक सहायता अधिवक्ता योजना, प्लीबार गैरिंग योजना, जमानत एवं अपील संबंधी जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान जेल अधीक्षक हिमानी मनवारे, जेलर, सुभद्रा ठाकुर, लीगल एड डिफेंस काउंसेल से डिप्टी चीफ शाईजा शेख, असिस्टेंट विनोद भालसे एवं जेल कर्मचारी उपस्थित रहे।

जनसुनवाई पहुंचा जमीन पर कब्जा और सामाजिक बहिष्कार का मामला

खरगोन, निप्र। नगर स्थित बजरंग नगर, जैतापुर में एक विधवा महिला की वैधानिक भूमि पर कथित कब्जे का मामला सामने आया है। पीड़िता दीपिका पटेल ने जनसुनवाई में शिकायत करते हुए कलेक्टर से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।

पटेल ने शिकायती आवेदन में आरोप लगाया है कि वर्ष 2016 में विधिवत रजिस्ट्री करवाकर खरीदी। वर्तमान में उनकी जमीन पर दूसरे पक्ष द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, लेकिन लगातार शिकायतों के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कई बार निवेदन करने के बाद भी कब्जा नहीं हटया गया, विरोध करने पर कब्जाधारी विवाद करता है, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो चुकी है। पीड़िता का कहना है कि पूर्व में सीमांकन भी उनके पक्ष में हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होना गंभीर सवाल खड़े करता है।



इधर,एक साल से कर रखा सामाजिक बहिष्कार:- ग्राम जमोदी, तहसील सेगांव निवासी एक पीड़ित परिवार ने सामाजिक बहिष्कार, धमकी और कृषि भूमि पर दबाव बनाए जाने के मामले में कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता अवंताबाई पति स्व. कैलाशचंद्र चौहान ने आरोप लगाया है कि उन्होंने लगभग एक वर्ष पूर्व पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लिखित शिकायत देकर गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों और सरपंच पक्ष द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न की

जानकारी दी थी, लेकिन आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने भूमि को मंदिर के नाम दान करने के लिए दबाव बनाया। परिवार द्वारा भूमि दान करने से इंमार् करने के बाद उनका सामाजिक बहिष्कार शुरू कर दिया गया। गांव के प्रभावशाली लोगों द्वारा किसानों, मजदूरों और कृषि यंत्र संचालकों को धमकाकर पीड़ित परिवार के खेतों में काम करने से रोका गया। सामाजिक बहिष्कार के कारण परिवार सामान्य जीवन नहीं जी पा रहा है और मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो रहा है।